



- बस्तर ओलंपिक मंच से गृह मंत्री अमित भाह ने दिया संदेश। उन्होंने कहा जहां कभी गोलियां गूंजती थी, वहां अब स्कूलों की घंटियां बजती हैं।
- प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई में आई एस आई एस से जुड़े साकिब नाचन केस में चालीस ठिकानों पर छापेमारी और पच्चीस बैंक खाते फ्रीज किए गए।
- निर्वाचन अधिकारी एल कुमार ने द्वीपों के अटठारह वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों से फॉर्म छ अनिवार्य घोषणा पत्र के साथ जमा करने की अपील की।
- पर्यटन निदेशालय ने न्यू वन्डूर बीच पर ग्लास बॉटम बोट और पैरासेलिंग गतिविधियां शुरू करने की योजना की घोषणा की।



केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा कि नक्सलवाद से किसी को लाभ नहीं होता और केवल शांति ही विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इक्कतीस मार्च, दो हजार छब्बीस तक नक्सलवाद को समाप्त करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अगले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल को देश का सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। श्री शाह ने कहा कि उग्रवाद ने इस क्षेत्र में विकास को बाधित किया है, लेकिन इसके उन्मूलन के बाद प्रगति का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। उन्होंने प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े लोगों से हथियार डालने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील भी की। बस्तर के बदलते स्वरूप का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि डर की जगह आशा ने ले ली है। उन्होंने कहा कि जहाँ कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहाँ अब स्कूलों की घंटियाँ बज रही हैं और जहाँ विकास कभी एक सपना था, वहाँ अब सड़कें, रेल और राजमार्ग बन रहे हैं।



उन्होंने कहा कि जब तक अगला बस्तर ओलंपिक आयोजित होगा, तब तक न केवल बस्तर बल्कि पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका होगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरुण साओ और विजय शर्मा तथा पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया भी उपस्थित थे। ओलंपिक में सभी सात जिलों के लगभग तीन हजार पांच सौ खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली और उग्रवादी हिंसा से प्रभावित लोग शामिल हैं।



आई.एस.आई.एस से जुड़े एक मॉड्यूल से संबंधित साकिब नाचन मामले की चल रही जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय— ई डी ने कई जिलों और राज्यों में चालीस स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। साकिब नाचन को पहले आंतकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में उसकी कथित सक्रिय संलिप्तता के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण—एन आई ए ने गिरफ्तार किया था। निदेशालय ने पडघा—बोरीवली क्षेत्र के निकट मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, हजारीबाग, प्रयागराज, दमन और रत्नागिरी में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियानों के दौरान नौ करोड़ सत्तर लाख रुपये से अधिक की चल संपत्ति, स्वर्ण आभूषण और गोल्ड बुलियन जब्त और बरामद किए गए हैं। इसके अलावा आरोपी और संदिग्धों से जुड़े पच्चीस बैंक खातों पर लेनदेन की रोक लगा दी गई है। कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले दस्तावेज़, साहित्य और डिजिटल उपकरण जैसी कई अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले से जुड़े लोग अत्यधिक कट्टरपंथी गुट आई एस आई एस के मॉड्यूल का हिस्सा थे। ये लोग आंतकी मॉड्यूल के अभियानों को जारी रखने के लिए लोगों की भर्ती, प्रशिक्षण, हथियारों तथा विस्फोटकों की खरीदारी और धन उगाही में कथित रूप से संलिप्त थे। मामलों में आगे की जांच जारी है।



अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एल कुमार ने अटठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे फॉर्म छ अनिवार्य घोषणा पत्र के साथ अपने संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारी को जमा करें या निर्वाचन आयोग के पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। समय पर फॉर्म छ जमा करने से मतदाता सूची में नाम शामिल होने में सहायता मिलेगी। हाल ही में अटठारह वर्ष की आयु पूरी

करने वाले सभी युवाओं से बिना विलंब आवेदन करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया गया है। सहायता के लिए मतदाता अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या वोटर हेल्पलाइन नंबर उन्नीस सौ पचास पर कॉल कर सकते हैं।



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रम के अनुरूप, कोलकाता उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति, सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर ने अंडमान एवं निकोबार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से कल सर्किट बेंच परिसर में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। लोक अदालत पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति शंपा दत्त पॉल, न्यायाधीश, कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा की गई। उनके साथ अधिवक्ता डी इलंगो, पीठ के सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। कुल चार मामलों पर विचार किया गया जिनमें से तीन मामलों का निपटारा किया गया। यह आयोजन वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और विशेषकर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दूरदराज क्षेत्रों में सभी के लिए न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वीप समूह द्वारा कल जिला न्यायालय भवन पोर्ट ब्लेयर, ए डी आर केंद्र प्रयास पोर्ट ब्लेयर तथा उप मंडलीय न्यायालय परिसरों मायाबंदर, डिगलीपुर और कैपबेल बे में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कुल तीन सौ चौवन वाद पूर्व मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों के छ सौ चौहत्तर लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किया गया। इनमें से कई बैंक और बी एस एन एल वसूली मामलों का निपटारा किया गया जिससे संबंधित पक्षों को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। आपराधिक मामलों के निपटारे से विभिन्न स्थानों पर जुर्माने की राशि वसूल की गई। मायाबंदर और डिगलीपुर में भी पीठों का गठन कर अनेक मामलों का समाधान किया गया। पोर्ट ब्लेयर, मायाबंदर और डिगलीपुर में आयोजित पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन संबंधित न्यायिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में किया गया।



दक्षिण अंडमान में अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के कारण आज दोपहर साढ़े बारह बजे से डेढ़ बजे तक डॉलीगंज, एयरपोर्ट और वी आई पी रोड पर अस्थायी यातायात नियंत्रण और आवागमन बाधित रहेगा। आम नागरिकों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए यह व्यवस्था अस्थायी रूप से लागू की गई है। आपातकालीन वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। कोई भी मार्ग पूर्ण रूप से बंद नहीं किया जाएगा और सामान्य यातायात यथावत जारी रहेगी। किसी भी आपात स्थिति में नागरिक संबंधित यातायात नियंत्रण कक्ष और अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।



जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, दक्षिण अंडमान के अनुसार ओल्ड पुलिस स्टेशन सैटेलाइट कॉलोनी से एंडल बस्ती होते हुए ऑस्टिनाबाद मुख्य सड़क तक मौजूदा सड़क के पुनर्निर्माण के कारण कल से तेईस दिसंबर तक नौ दिनों के लिए सभी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस अवधि में वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। सार्वजनिक सुरक्षा के हित में सभी से इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

